



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179694

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8151 वर्ष 2026

सोहन लाल यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अंजलि शुक्ला, अपूर्व सिंह, प्रतीक चंद्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 22 सन् 2025, धारा 305ए, 331(4), 317(2), 345(3), 238 बी.एन.एस. तथा धारा 60 आबकारी अधिनियम,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थाना- रायगढ़, जनपद- मिर्जापुर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारंभ में धारा 305(ए) और 331(4) बी.एन.एस. के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने सह-अभियुक्त संजय पाल को गिरफ्तार किया और उसकी कब्जे से 29 पेटी शराब बरामद की गई, जो कथित रूप से सूचनादाता की दुकान से चोरी की गई थी। आवेदक का नाम सह-अभियुक्त संजय पाल के संस्वीकृति बयान में सामने आया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि सह-अभियुक्त संजय पाल के पास से भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। आवेदक को अभिरक्षा में पूछताछ तथा आगे की बरामदगी के लिए आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक जांच की कार्यवाही से बच रहा है और उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट भी जारी किए जा चुके हैं।

5. तथापि, विद्वान ए.जी.ए. ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है। सह-अभियुक्त संजय पाल, जिसकी कब्जे से चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी की गई थी, को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10518 सन् 2025 में पारित दिनांक 14.05.2025 के आदेश के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माध्यम से नियमित जमानत प्रदान की गई है। सह-अभियुक्त के संस्वीकृति बयान के अतिरिक्त, आवेदक को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने वाला कोई अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य इंगित नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। यह कहा गया है कि आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं, तथापि, आवेदक के विरुद्ध बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की गई है।

8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

10. आवेदक **सोहन लाल यादव** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रत्येक प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के उद्देश्य से की गई हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

25 अगस्त, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।